न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमति दीपिका पत्नि मोहनलाल जैन, निवासी बम्बई व अन्य – 3		गुजरात सरकार , गांधीनगर, अहमदाबाद व अन्य – 1

वाद पत्र तहत् आदेश 7 नियम 1 सी.पी.सी.

वाद वास्ते कब्जा , हर्जाना प्राप्ती हेतु तहत् धारा 183, 92 ए राज. टिनेन्सी एक्ट

राजस्व वाद 4/2023

दिनांक 16/02/2026

–: निर्णय :–

यह राजस्व वाद वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेश 7 नियम 1 सीपीसी , वाद वास्ते कब्जा , हर्जाना प्राप्ती हेतु तहत् धारा 183, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 09.11.1998 को निर्णय पारित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 24.01.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.1998 के निर्णय को निरस्त कर उक्त निर्णय के पैरा संख्या 8 एवं 9 में किये गये विवेचन अनुसार पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु यह प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया ।

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गांव ढुंढाई पटवार हल्का आबूपर्वत में खसरा संख्या 287/333 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नंबर 287 की 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण की है। वादीगण ने क्रय करने के समय उपरोक्त भूमि का क्षेत्रफल उपरोक्त अनुसार सही होना मानकर कब्जा ले लिया था किन्तु नाप करवाने पर भूमि कम होना पाया था जिस कारण वादीगण द्वारा पूर्व खातेदारान श्री जगजीत सिंह एवं श्री महावीरसिंह से पूछने पर ज्ञात हुआ कि गुजरात भवन बनाने वाले अधिकारियों द्वारा बिना उनकी जानकारी में लाये ओर बिना उनसे स्वीकृति लिये अवैध रूप से उक्त खसरा संख्या 287/333 की भूमि पर 8–10 वर्ष पूर्व अतिक्रमण कर लिया गया था जिसे हटाने हेतु समय–समय पर गुजरात भवन के प्रबन्धकों एवं गुजरात के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर उक्त अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया था। उक्त श्री जगजीतसिंह एवं श्री महावीरसिंह ने यह भी बताया था कि उनकी शिकायत पर गुजरात भवन अधिकारीगण द्वारा दिनांक 03.05.1990 को उनके प्रतिनिधि श्री भगवतसिंह की उपस्थिति में भूमि का नाप किया गया था जिसमें गुजरात भवन के अधिकारियों द्वारा 1–06 बीघा भूमि पर गुजरात भवन का अतिक्रमण होना स्वीकार किया था तथा शीघ्र अतिक्रमण हटा कर कब्जा सौप देने का आश्वासन दिया था परन्तु गुजरात भवन के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने क कारण श्री जगजीतसिंह एवं महावीरसिंह ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 17.9.90 को धारा 80 सीपीसी के तहत गुजरात सरकार को नोटिस भी दिलवाया था। जिसके जवाब में प्रतिवादीगण ने गुजरात भवन की कब्जे वाली भूमि गुजरात भवन का होना बताया था जिस पर कार्यालय आबूरोड [illegible] 22.10.94 को वादीगण के प्रतिनिधि को सीमा ज्ञान करवाया गया था तो उपरोक्त [illegible] खसरा नंबर की समस्त भूमि में से 1–06 बीघा भूमि पर गुजरात भवन का अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया था। अतः डिक्री पारित की जावे कि :– उपरोक्त दोनो खसरा नंबर जिनका विवरण पद संख्या 2 व 3 में दिया गया है कि जो 1–06 बीघा भूमि पर गुजरात सरकार का अतिक्रमण है उसे हटवाया जाकर उसका खाली कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे। रूपये 100/– प्रतिदिन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

तिकमित भूमि के उपयोग का हर्जाना प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाया जावें। अगर कोर्ट कब्जा लिाना उचित नही माने तो वादीगण को उसकी अतिकमित 1–06 बीघा भूमि का बाजार मूल्य, बयान, सोलेटियम भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रिन्सीपलस के आधार प्रति प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया।

हमने इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/97 दिनांक 14.07.2025 द्वारा तहसीलदार देलदर को सीमाज्ञान रिपोर्ट हेतु लिखा गया था। तहसीलदार देलदर के जरिये पत्रांक/राजस्व/2026/39 दिनांक 12.01.2026 द्वारा मौका फर्द मय रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित कि गई।

हमने पत्रावली, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज, तहसीलदार की मौका फर्द मय रिपोर्ट एवं लिये गये साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया गया तो निर्णय निमन प्रकार है :–

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 24.01.2019 के अनुसार निर्णय के पैरा संख्या 8 एवं 9 में किये गये विवेचन अनुसार पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। पैरा संख्या 8 व 9 के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया पूर्व में दिनांक 22.10.1994 को भी नाप किया गया था जिसमें गुजरात भवन का कब्जा मय नक्शा प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद पुनः 25.03.1997 को नाप किया गया। जिसमें भी अनाधिकृत कब्जा स्पष्ट प्रतीत होता है। पुनः आवेदन पर दिनांक 29.05.1997 को नक्शा अनुसार नाप कर बताया गया जिसमें स्थिति यथावत बताई गई। तहसीलदार आबूरोड़ के पत्र क्रमांक 1643 दिनांक 29.09.1997 के द्वारा उक्त भूमि किये गये निर्माण की भी स्पष्ट जानकारी दी गई। जो पत्रावली में संलग्न है। वादी द्वारा भूमि का क्षेत्रफल क्रय करते समय सही होना मानकर कब्जा लिया था एवं बाद में नाप कराने पर यह स्थिति स्पष्ट हुई कि भूमि दर्ज रिकॉर्ड से कम है। जो तथ्य तहसीलदार द्वारा वर्ष 1994 व 1997 में कराये गये सीमाज्ञान व रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी की भूमि पर अतिक्रमण गुजरात सरकार द्वारा किया हुआ है। जो प्रतिवादी की जानकारी में है। वादीगण अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादीगण ने 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय कि भूमि क्रय करने के समय प्रतिवादीगण द्वारा करीब 3500 वर्गफीट भूमि पर ही निर्माण किया गया था । इस कारण वादीगण को यही ज्ञान था कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि पर ही निर्माण किया होगा। वाद प्रस्तुति के पश्चात मौका रिपोर्ट मंगवाने पर ज्ञात हुआ कि निर्माण खसरा संख्या 287/333 पर किया हुआ है।

तहसीलदार देलदर के जरिये पत्रांक/राजस्व/2026/39 दिनांक 12.01.2026 द्वारा मौका फर्द मय रिपोर्ट में अंकन है कि मौके पर ग्राम ढुंढाई खसरा नंबर 287/333 व 287 का भूमि माप किया गया जिसमें उल्लेख है कि गुजरात सरकार द्वारा मौके पर वादी की भूमि में अवैध रूप से कब्जा है अतः तहसीलदार देलदर के उक्त पत्र के संलग्न मौका फर्द में दर्ज विवरण अनुसार अतिकमित भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2026.03.11 18:36:49 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)